



उत्तर पश्चिम रेलवे

रेलवे भर्ती कक्ष

बिल्डिंग नं. 4- दूसरी मंजिल केन्द्रीय अस्पताल के सामने,
रेलवे स्टेशन के पास जयपुर-302006

www.rrcjaipur.in

वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे में सांस्कृतिक कोटे के अंतर्गत भर्ती हेतु अधिसूचना

रोजगार सूचना संख्या 02/2026 (सांस्कृतिक कोटा/आरआरसी/उ.प.रे.) तिथि:29.06.2026

उत्तर पश्चिम रेलवे पर वर्ष 2025-26 के लिए सांस्कृतिक कोटा के तहत लेवल-2 के 02 पदों को भरने के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। नीचे पैरा-1 में उल्लेखित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक (प्रोफेशनल) (सांस्कृतिक) योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन करने हेतु पात्र हैं। उम्मीदवार रेलवे भर्ती कक्ष, जयपुर की वेबसाइट अर्थात www.rrcjaipur.in पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं।

अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि	29/06/2026
ऑनलाइन आवेदन की आरंभ तिथि	06/07/2026
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एवं समय	05/08/2026 , 23:59 Hrs.

महत्वपूर्ण :

- कृपया ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व से इस अधिसूचना में दिए गए सभी निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें तथा यह सुनिश्चित करें कि आप आवेदन करने के पात्र हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश रेलवे भर्ती कक्ष – उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर की वेबसाइट www.rrcjaipur.in पर उपलब्ध हैं।
- उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वेबसाइट पर ज्यादा लोड/जाम होने के कारण आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की असफलता से बचने के लिए अंतिम तिथि से पूर्व ऑनलाइन आवेदन करें।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में पर्सनल ई-मेल ID और मोबाइल नंबर भरें। अगर उम्मीदवार के पास वैध पर्सनल ई-मेल ID नहीं है, तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अपनी पर्सनल ई-मेल ID बना लें तथा भर्ती प्रक्रिया के आखिरी चरण तक उपरोक्त ई-मेल ID और मोबाइल नंबर को सक्रिय रखा जाए। रेलवे प्रशासन ई-मेल या SMS के पहुंचने में हुई किसी भी प्रकार की देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। उम्मीदवार को उनके अपने अवांछित ई-मेल (Spam E-mail) फोल्डर भी चेक करना चाहिए।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से रेलवे भर्ती कक्ष – उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर की वेबसाइट www.rrcjaipur.in को आगे की अपडेट्स के लिए बार-बार अवलोकन करते रहें।

1. भरे जाने वाले पदों का विवरण -

क्र.सं.	पद	पदों की संख्या	वेतन स्तर	आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और व्यावसायिक (सांस्कृतिक) योग्यता
1	हारमोनियम वादक (सिंथेसाइजर बजाने की क्षमता को प्राथमिकता के साथ हारमोनियम)	01	2	(1) शैक्षणिक योग्यता- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (10+2 स्तर)या समकक्ष परीक्षा में कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंक प्राप्त होना आवश्यक है। (NTPC श्रेणी के लिए 50% अंक अनिवार्य हैं) SC/ST/पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों तथा स्नातक /स्नातकोत्तर जैसी उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थियों को लिए 50% अंक की अनिवार्यता नहीं है। अथवा
2	सितार वादक	01	2	तकनीकी श्रेणी के पदों हेतु मान्यता प्राप्त संस्थान से NCVT/SCVT द्वारा अनुमोदित एक्ट अप्रेंटिसशिप / होना चाहिए। आईटीआई कोर्स पूर्ण किया (इंजीनियरिंग डिप्लोमा सहित अन्य उच्च योग्यता को उसी प्रशिक्षण क्षेत्र में वैकल्पिक उच्च योग्यता नहीं माना जाएगा।) (2) व्यवसायिक (सांस्कृतिक) योग्यता- सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र (3) वांछनीय (क) संबंधित क्षेत्र में अनुभव तथा आकाशवाणी प्रस्तुति। दूरदर्शन आदि पर (ख) राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीता हो।

नोट :-ये पद सभी समुदायों के लिए खुले हैं और किसी भी समुदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

2. आयु सीमा (01.07.2026 को)

आयु वर्ग	अधिकतम जन्मतिथि			न्यूनतम जन्म तिथि	टिप्पणी
	अना./आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग	ओबीसी गैर क्रीमी लेयर	अनु. जाति / जनजाति		
अनारक्षित वर्ग के लिए 18 से 27+3=30 वर्ष जिसमें अनु. जाति / जनजाति के लिए 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट तथा अ.पि.वर्ग हेतु 03 वर्ष की अतिरिक्त छूट।	02.07.1996	02.07.1993	02.07.1991	01.07.2008	पैरा 3 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार प्रत्येक श्रेणी हेतु आयु में छूट प्रदान की जाएगी।

नोट :

- अभ्यर्थी की जन्म तिथि उपर्युक्त तिथियों के मध्य होनी चाहिए। (दोनों तिथियाँ सम्मिलित)
- उम्मीदवार ध्यान दें कि आवेदन के समय उनके द्वारा एक बार घोषित जन्मतिथि जिसे प्रशासन द्वारा परीक्षा में प्रवेश हेतु अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। उस जन्मतिथि में किसी भी आधार पर परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- जन्म तिथि के प्रमाण हेतु 10वीं मैट्रिकुलेशन/प्रमाणपत्र या समकक्ष प्रमाणपत्र अथवा विद्यालय त्याग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- न्यूनतम और अधिकतम आयु की गणना 01.07.2026 के आधार पर की जाएगी।

3. आयु में छूट की सीमा

पैरा 2 में बताई गई ऊपरी आयु सीमा में निम्न प्रकार से छूट प्रदान की जाएगी:-

- 3.1 भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट रक्षा सेवा की अवधि के साथ-साथ 03 वर्ष तक दी जा सकती है, बशर्ते उन्होंने अटेस्टेशन के पश्चात 6 माह से अधिक सेवा की हो।
- 3.2 अनारक्षित वर्ग के दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) के लिए 10 वर्ष, ओबीसी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 13 वर्ष तथा एससी/एसटी दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) के लिए 15 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
- 3.3 विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं तथा ऐसे महिलाओं के मामले में, जो विधिवत अपने पति से अलग हो चुकी हैं किंतु पुनर्विवाह नहीं किया है, ऊपरी आयु सीमा अनारक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष, ओबीसी के लिए 38 वर्ष तथा एससी/एसटी अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष होगी।
- 3.4 रेलवे में कार्यरत ग्रुप-सी एवं पूर्व ग्रुप-डी रेलवे कर्मचारी, कैजुअल लेबर तथा एवजी, जिन्होंने न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा (निरंतर या अंतराल सहित) पूर्ण की हो, उनके लिए ऊपरी आयु सीमा अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष, एससी/एसटी अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष तथा ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 43 वर्ष होगी।
- 3.5 रेलवे संगठन के अर्ध-प्रशासनिक कार्यालयों, जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी समितियाँ तथा संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के अनुसार, अधिकतम 5 वर्ष तक की आयु छूट प्रदान की जाएगी।
- 3.6 जिन अभ्यर्थियों ने एक्ट अप्रेंटिसशिप का कोर्स पूर्ण कर लिया है, उन्हें नियमानुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी।

श्रेणियाँ	यूआर एवं ईडब्ल्यूएस	ओबीसी गैर क्रीमी लेयर	एससीएसटी/
कोर्स पूर्ण कर चुके अधिनियमित प्रशिक्षु, जो उन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं जिनके लिए न्यूनतम योग्यता ITI/अधिनियमित प्रशिक्षुता पूर्ण होना है	30 वर्ष की आयु तथा प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्राप्त प्रशिक्षु प्रशिक्षण की अवधि, जो अधिकतम तीन वर्ष तक हो सकती है	33 वर्ष की आयु तथा प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्राप्त प्रशिक्षु प्रशिक्षण की अवधि, जो अधिकतम तीन वर्ष तक हो सकती है	35 वर्ष की आयु तथा प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्राप्त प्रशिक्षु प्रशिक्षण की अवधि, जो अधिकतम तीन वर्ष तक हो सकती है
वे अभ्यर्थी जिन्होंने 25 वर्ष की आयु से पूर्व प्रशिक्षु अधिनियम के अंतर्गत कोर्स पूर्ण कर लिया हो	35वर्ष	38वर्ष	40 वर्ष

4. परीक्षा शुल्क:-

4.1 देय शुल्क:-

I.	नीचे दिए गए क्रमांक II में वर्णित शुल्क में छूट प्राप्त श्रेणी को छोड़कर सभी अभ्यर्थियों के लिए 500/- रुपये की शुल्क में से 400/- रुपये लिखित परीक्षा/CBT में सम्मिलित होने पर लागू बैंक शुल्क काटकर नियत समय में वापस कर दिए जाएंगे	500/- (केवल पाँच सौ रुपये)
II.	अन.जाति/अनु.जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और PwBD *** / महिला पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए / ट्रांसजेंडर /, रुपये की शुल्क लिखित परीक्षा/CBT में सम्मिलित होने पर लागू बैंक शुल्क काटकर नियत समय में वापस कर दी जाएगी	250/- (केवल दो सौ पचास रुपये)

आवेदन करते समय, शुल्क में छूट वापसी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में आवश्यक प्रमाण पत्र अर्थात्/SC/ST/Ex SM/अल्पसंख्यक/EBC/PwBD प्रस्तुत करने होंगे।

- अल्पसंख्यक का अर्थ है मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, ज़ोरास्ट्रियन तथा जैन (पारसी)
- आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC) के अभ्यर्थियों से आशय उन व्यक्तियों से है जिनके परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम है
- मानक दिव्यांगता वाले व्यक्ति (PwBD) – केवल वे अभ्यर्थी सेवा/पद में आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो संबंधित दिव्यांगता में न्यूनतम 40 प्रतिशत से प्रभावित हों

4.2 परीक्षा शुल्क में छूट/रिफंड प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरते समय अनुलग्नक-5 में दिया गया 'स्वघोषणा पत्र-' (Self Declaration) अपलोड करना होगा। दस्तावेज़ सत्यापन (DV) के समय, शुल्क में छूट का दावा करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर-'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा पत्र' (Affidavit)

भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि दस्तावेज सत्यापन के दौरान यह शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

- 4.3** परीक्षा शुल्क में छूटरिफंड का दावा करने के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC) के अभ्यर्थियों को अनुलग्नक-4 में दिए गए निर्धारित प्रारूप में आय प्रमाण पत्र /BPL / इज्जत MST, जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो तथा जिस पर उसकी मुहर/ सील अंकित हो, ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपलोड करना होगा तथा दस्तावेज सत्यापन (DV) के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी:

1. जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी।
 2. लोकसभा के वर्तमान सदस्य, अपने निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों के लिए।
 3. बीपीएल कार्ड या केन्द्र सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी कोई अन्य प्रमाण-पत्र अथवा रेलवे द्वारा जारी 'इज्जत MST'।
 4. केंद्रीय मंत्री, देश के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति के लिए अनुशंसा कर सकते हैं।
 5. राज्यसभा के वर्तमान सांसद, सामान्यतः जिस जिले में वे निवास करते हैं, वहाँ के व्यक्तियों के लिए।
- 4.4** आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी सही होने की पुष्टि करने के बाद, उम्मीदवारों को RRC-NWR वेबसाइट पर पेमेंट गेटवे के जरिए फ़ीस का भुगतान करना होगा, जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। नेट बैंकिंग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन फ़ीस का भुगतान 05.08.2026 को रात 11:59 बजे (23:59 बजे) तक किया जा सकेगा। इसके पश्चात किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 4.5** भुगतान कंप्यूटर स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार जानकारी देकर डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/UPI आदि के जरिए पेमेंट किया जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक द्वारा लगाए गए लेनदेन शुल्क-, यदि कोई हों, तो अभ्यर्थी द्वारा वहन किए जाएंगे।
- 4.6** ट्रांज़ैक्शन सफलतापूर्वक पूरा होने पर, उम्मीदवार द्वारा डाली गई तारीख के साथ एक ई-रसीद जनरेट होगी, जिसे उम्मीदवार को सेव/प्रिंट करके अपने पास रखना चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के समय आवश्यकता पड़ने पर इसे प्रस्तुत करना होगा।
- 4.7** अगर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन सफल नहीं होता है, तो कृपया दोबारा ऑनलाइन पेमेंट करें। यदि भुगतान में किसी प्रकार की द्वितीयक डुप्लीकेशन प्रविष्टि हो जाती है, तो सत्यापन के उपरांत राशि वापस कर दी जाएगी।
- 4.8** अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरते समय लाभार्थी के बैंक खाते का सही विवरण देना चाहिए, जिसमें वे शुल्क वापसी प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे लाभार्थी का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या तथा IFSC कोड, ताकि उपर्युक्त पैरा 4.1 के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों को बैंक शुल्क काटकर शुल्क वापसी करने में सुविधा हो।
- 4.9** जो अभ्यर्थी अयोग्य पाए जाएंगे, उनकी शुल्क राशि वापस नहीं की जाएगी।
- 4.10** पैरा 4.1 के अनुसार, बैंक शुल्क काटकर शुल्क वापसी केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दी जाएगी जो अधिसूचना के अनुसार पात्र पाए गए हों तथा जिन्होंने वास्तव में लिखित परीक्षा/CBT में भाग लिया हो।

5. समुदाय प्रमाण पत्र

5.1 सांस्कृतिक कोटा के अंतर्गत सभी पद सभी श्रेणियों के लिए खुले हैं। SC/ST/OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों को जो सांस्कृतिक कोटा के तहत आवेदन करते हैं, उन्हें सामान्य ओपन मार्केट भर्ती में स्वीकार्य आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

5.2 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होने का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को अनुलग्नक-1 में दिए गए निर्धारित प्रारूप (केंद्र सरकार द्वारा रोजगार के लिए निर्धारित) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी (पैरा 5.5) से समुदाय प्रमाण पत्र प्राप्त करना और आवेदन भरते समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज सत्यापन (DV) के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसा न करने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

5.3 OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों को केंद्रीय सरकार के प्रारूप (अनुलग्नक-2) में वर्तमान वर्ष 2025-26 के लिए वैध गैर-क्रीमी लेयर (Non-Creamy Layer) प्रमाण पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। यह प्रमाण पत्र 01.04.2026 या उसके बाद सक्षम प्राधिकारी (पैरा 5.5(1) से 5.5(3)) द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। प्रमाण पत्र में जाति, जारी करने की तिथि आदि स्पष्ट रूप से अंकित हो और उस पर जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर/सील होना आवश्यक है।

या

जिन OBC अभ्यर्थियों ने नवीनतम नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के साथ नवीनतम-OBC जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है, उन्हें केंद्रीय सरकार के प्रारूप (अनुलग्नक-2) में वर्तमान OBC जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी (पैरा 5.5(1) से (3)5.5) द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। इसके साथ ही, अभ्यर्थियों को नान क्रीमी लेयर की वर्तमान स्थिति के बारे में स्व-घोषणा Self-Declaration फार्म अनुलग्नक-3 के अनुसार भरकर अपलोड करना होगा।

5.4 ईडब्ल्यूएस आरक्षण उन अभ्यर्थियों के लिए है जो SC/ST/OBC-NCL आरक्षण योजना के तहत शामिल नहीं हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये (₹8,00,000) से कम है। ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ पाने के लिए अभ्यर्थियों की आय में आवेदन करने वाले वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष की सभी आय स्रोतों को शामिल किया जाएगा, जैसे कि वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि। वित्तीय वर्ष के लिए यह 2025-2026 होगा, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि **05.08.2026** निर्धारित है। यदि किसी अभ्यर्थी के परिवार के पास नीचे दी गई संपत्ति है, तो वे ईडब्ल्यूएस के तहत नहीं माने जाएंगे, चाहे परिवार की आय कितनी भी हो:

i. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि।

ii. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय प्लॉट।

iii. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

iv. नोटिफाइड नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय प्लॉट।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय, विभिन्न स्थानों या नगरों में एक **“परिवार”** द्वारा धारण की गई सभी संपत्तियों को सम्मिलित किया जाएगा।

इस प्रयोजन के लिए **“परिवार”** शब्द में आरक्षण का लाभ चाहने वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता, 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, उसका जीवनसाथी तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे सम्मिलित होंगे।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का लाभ केवल **सक्षम प्राधिकारी** द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र {पैरा 5.5(1) से (4)} प्रस्तुत करने पर ही प्राप्त होगा। किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र {पैरा 5.5(1) से (4)}, जो **अनुलग्नक-7** में निर्दिष्ट प्रारूप में हो, उसे ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित अभ्यर्थी के दावे के रूप में माना जाएगा।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को **दस्तावेज़ सत्यापन (DV)** की तिथि पर **अनुलग्नक-7** के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी **वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि ये शर्तें पूरी नहीं की जाती हैं, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा, और ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता/आवेदन, यदि वे **अनारक्षित (UR)** श्रेणी की सभी योग्यता शर्तें पूरी करते हैं, तो केवल **अनारक्षित (UR)** रिक्ति के अंतर्गत ही विचार किया जाएगा।

5.5 जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारियों की सूची

1. जिला मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलैक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप जिलाधीश /प्रथम श्रेणी कार्यकारी मजिस्ट्रेट/उप विभागीय मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट ।
3. तहसीलदार या उससे उच्च श्रेणी के अधिकारी।
4. उस क्षेत्र का उप विभागीय अधिकारी, जहाँ अभ्यर्थी और या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।
5. केंद्र या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिस पर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक होंगे।
6. प्रशासक/प्रशासक के सचिव अंडमान, गोवा व दमन द्वीप समूह ।

6. कार्यरत कर्मचारियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र:-

रेलवे या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सहित किसी भी केंद्र/राज्य सरकार के विभाग में कार्यरत अभ्यर्थी (प्रशिक्षण/परिवीक्षा पर कार्यरत अभ्यर्थी भी) अपने नियोक्ता को सूचित कर सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित (शॉर्टलिस्ट किए गए) अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन (DV) के समय अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उनका अभ्यर्थिता (कैंडिडेटचर) निरस्त कर दिया जाएगा।

नोट :- अभ्यर्थी ध्यान दें कि यदि RRC, NWR को उनके नियोक्ता से ऐसा कोई संदेश प्राप्त होता है, जिसमें परीक्षा के लिए आवेदन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति रोकी गई हो, तो उनका आवेदन/अभ्यर्थिता को अस्वीकार/निरस्त किया जा सकता है।

7. सामान्य अनुदेश-

7.1 किसी भी विषय के लिए आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह सभी पात्रता मानदंडों को पूर्ण करता है। अभ्यर्थी के पास आवेदन जमा करने की तिथि तक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/सरकारी विश्वविद्यालय/संस्थान/NCVT/SCVT से आवश्यक शैक्षिक/तकनीकी तथा व्यावसायिक (सांस्कृतिक) योग्यताएँ होनी चाहिए। जो अभ्यर्थी अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए। यदि अभ्यर्थी आवश्यक मानदंडों को पूर्ण नहीं करते हैं, तो RRC भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उनका आवेदन निरस्त कर सकता है, और यदि उन्हें नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को तत्काल सेवा से हटाया जा सकता है।

7.2 जिन अभ्यर्थियों को सभी RRB/RRC परीक्षाओं से आजीवन निष्कासित (डिबार) किया गया है अथवा जिन्हें एक निश्चित अवधि के लिए निष्कासित किया गया है और वह अवधि अभी पूर्ण नहीं हुई है, वे इस अधिसूचना के अंतर्गत आवेदन न करें। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह तथ्य ज्ञात होने पर उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, और यदि नियुक्ति हो जाती है, तो उन्हें तत्काल सेवा से हटाया जा सकता है।

7.3 RRC, NWR द्वारा चयनित होने से अभ्यर्थी को रेलवे में नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

7.4 चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित पद के लिए यदि आवश्यक हो तो निर्धारित स्थान पर प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।

7.5 प्रारंभिक नियुक्ति पर वेतन स्तर-2 का न्यूनतम वेतन देय होगा, साथ ही उस समय लागू अन्य भत्ते भी प्रदान किए जाएंगे। प्रशिक्षण अवधि के दौरान केवल नियमानुसार स्टाइपेंड देय होगा। आवश्यकता पड़ने पर अभ्यर्थियों से सुरक्षा जमा (सिक्योरिटी डिपॉजिट) तथा क्षतिपूर्ति बांड (इंडेमिटी बॉन्ड) लिया जा सकता है।

7.6 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/CBT/प्रायोगिक प्रदर्शन/प्रमाण-पत्रों के आकलन/दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाए जाने पर निःशुल्क द्वितीय श्रेणी रेलवे पास प्रदान किया जाएगा, बशर्ते वे वैध जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

7.7 इस अधिसूचना की शर्तों एवं नियमों में वर्तमान नियमों के अनुसार समय-समय पर परिवर्तन लागू होंगे। RRC को इस अधिसूचना के अंतर्गत भर्ती के नियमों एवं शर्तों में आवश्यकतानुसार संशोधन/परिवर्तन/संवर्धन/निरस्तीकरण करने का अधिकार होगा।

7.8 नियुक्ति के लिए सभी प्रमाण-पत्रों एवं दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

7.9 यदि अभ्यर्थियों का चयन लिपिकीय श्रेणी में होता है, तो उन्हें नियुक्ति की तिथि से 02 वर्ष के भीतर अंग्रेजी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति में प्रवीणता उत्तीर्ण करनी होगी। इसके लिए अधिकतम तीन अवसर ही प्रदान किए जाएंगे। अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, और ऐसा न करने पर उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

7.10 लिखित परीक्षा/CBT/प्रायोगिक प्रदर्शन/प्रमाण-पत्रों के आकलन/दस्तावेज सत्यापन की तिथि, स्थान एवं समय वेबसाइट www.rrcjaipur.in पर प्रकाशित किया जाएगा। पात्रता, आवेदन की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति तथा परीक्षा केंद्र आवंटन से संबंधित सभी मामलों में उत्तर पश्चिम रेलवे का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

7.11 अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए अल्प सूचना पर भी बुलाया जा सकता है।

8. अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़-

अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्पष्ट रूप से स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे :-

- 8.1 अधिसूचना के पैरा 1 में निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अंक-पत्र/प्रमाण-पत्र अथवा उसके समकक्ष की स्कैन प्रति।
- 8.2 अधिसूचना के पैरा 1 में निर्धारित व्यावसायिक (सांस्कृतिक) योग्यता के प्रमाण-पत्र की स्कैन प्रति।
- 8.3 जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में प्रमाण-पत्र की स्कैन प्रति (10वीं कक्षा/मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र/समकक्ष शैक्षिक प्रमाण-पत्र/विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो)।
- 8.4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक-1 एवं 2 के अनुसार) की स्कैन प्रति, तथा जहाँ लागू हो, गैर-क्रीमी लेयर (अनुलग्नक-3 के अनुसार) की वर्तमान स्थिति संबंधी स्व-घोषणा पत्र।
- 8.5 आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC) के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक-4 के अनुसार) की स्कैन प्रति।
- 8.6 पैरा 3 के अंतर्गत आयु में छूट तथा पैरा 4 के अंतर्गत परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्रों की स्कैन प्रति।
- 8.7 संलग्न अनुलग्नक-8 के अनुसार "पुरस्कार/पुरस्कार विवरण तथा अनुभव/प्रदर्शन का विवरण" की स्कैन प्रति।
- 8.8 आवेदन प्रपत्र अपलोड करने के पश्चात पृथक रूप से भेजे गए किसी भी प्रमाण-पत्र, फोटोग्राफ आदि पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 8.9 स्कैन किया हुआ छायाचित्र / फोटो तथा स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर।

टिप्पणी :

स्कैन की गई तस्वीर/फोटो की सॉफ्ट कॉपी

- (क) अभ्यर्थियों को अपनी रंगीन पासपोर्ट आकार की नवीनतम फोटो (आकार 3.5 सेमी × 3.5 सेमी) अपलोड करनी होगी, जो आवेदन की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी न हो। फोटो JPG/JPEG प्रारूप में, 100 DPI रेजोल्यूशन सहित तथा 20 KB से 70 KB के बीच आकार की होनी चाहिए। फोटो में अभ्यर्थी का मुख स्पष्ट दिखाई दे तथा उसने टोपी या धूप का चश्मा न पहना हो।
- (ख) रंगीन फोटो किसी मान्यता प्राप्त पेशेवर स्टूडियो में, वेब नोटिस के प्रकाशन की तिथि अथवा उसके पश्चात खिंचवाई गई होनी चाहिए। मोबाइल फोन से ली गई फोटो अथवा स्वयं तैयार किए गए चित्र के कारण आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
- (ग) अभ्यर्थी की फोटो उसके वास्तविक स्वरूप से मेल खानी चाहिए, जिससे लिखित परीक्षा/कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)/प्रायोगिक प्रदर्शन/प्रमाणपत्र सत्यापन/दस्तावेज़ सत्यापन एवं चिकित्सीय परीक्षण के समय पहचान में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
- (घ) यदि अभ्यर्थी चश्मा पहनता/पहनती है, तो फोटो में चश्मे पर किसी प्रकार की चमक (ग्लेयर) या प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए तथा दोनों आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
- (ङ) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि अपलोड की गई फोटो नवीन एवं स्पष्ट हो। किसी भी चरण पर यदि फोटो पुरानी, अस्पष्ट पाई जाती है अथवा अभ्यर्थी के वास्तविक स्वरूप से भिन्न होती है, तो संबंधित प्राधिकारी द्वारा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
- (च) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इसी फोटो की कम से कम 08 (आठ) प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके।

9. अमान्य आवेदन/अस्वीकृति :

निम्नलिखित कमियों वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे—

- i. बिना स्कैन किए हुए हस्ताक्षर एवं/अथवा फोटो वाले आवेदन।
- ii. स्कैन किए गए हस्ताक्षर के साथ आवेदन, किन्तु हस्ताक्षर बड़े अक्षरों में अथवा पृथक-पृथक अक्षरों में किए गए हों।

- iii. स्कैन की गई फोटो के साथ आवेदन, किन्तु अभ्यर्थी द्वारा गॉगल्स, टोपी, विग या रंगीन चश्मा पहना गया हो अथवा फोटो विकृत, अत्यधिक छोटी या पहचान योग्य न हो।
- iv. आवेदन जमा करने की तिथि तक संबंधित पद के लिए निर्धारित शैक्षिक/तकनीकी एवं व्यावसायिक (सांस्कृतिक) योग्यताएँ पूर्ण न होना।
- v. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी वैध जाति/समुदाय प्रमाण-पत्र के बिना आवेदन।
- vi. आयु में छूट अथवा शुल्क में छूट का दावा किए जाने पर, उसके समर्थन में आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न न होना।
- vii. आयु प्रमाण-पत्र के बिना आवेदन।
- viii. अधिक आयु अथवा अल्प आयु वाले अभ्यर्थियों के आवेदन, तथा ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपलोड किया गया जन्मतिथि प्रमाण-पत्र अस्पष्ट हो, जन्मतिथि अंकित न की गई हो अथवा गलत अंकित की गई हो।
- ix. किसी भी प्रकार का त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
- x. एक ही पद के लिए भिन्न-भिन्न विवरणों अथवा तथ्यों में मामूली परिवर्तन के साथ एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करना।
- xi. परीक्षा शुल्क के बिना आवेदन (₹500/- अथवा ₹250/-, जहाँ लागू हो) अथवा निर्धारित से कम शुल्क का भुगतान किया गया हो।
- xii. ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम प्रतिबंधित सूची में सम्मिलित है।
- xiii. हस्ताक्षर केवल अभ्यर्थी के ही होने चाहिए। परीक्षा एवं/अथवा प्रायोगिक प्रदर्शन एवं/अथवा दस्तावेज सत्यापन एवं/अथवा चिकित्सीय परीक्षण के समय लिए गए हस्ताक्षर, ऑनलाइन आवेदन के समय किए गए हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए। यदि हस्ताक्षरों में असंगति पाई जाती है, तो अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, विधिक कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है तथा अभ्यर्थी को रेलवे भर्ती बोर्ड/ रेलवे भर्तीकक्ष द्वारा आयोजित रेलवे भर्ती के लिए आजीवन प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- xiv. अपलोड किए गए दस्तावेज अस्पष्ट हों।
- xv. संबंधित रेलवे प्रशासन द्वारा जांच में पाई गई एवं अमान्य घोषित किसी भी अन्य प्रकार की अनियमितता।

10. सांस्कृतिक कोटा के अंतर्गत भर्ती की प्रक्रिया:

जो उम्मीदवार अधिसूचना के जवाब में आवेदन करते हैं और सांस्कृतिक कोटा के तहत जो अभ्यर्थी अधिसूचना के प्रत्युत्तर में आवेदन करते हैं तथा सांस्कृतिक कोटा के अंतर्गत नियुक्ति हेतु पात्र पाए जाते हैं, उनका मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा।

क	लिखित परीक्षा	50अंक
1.	लिखित परीक्षा में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (कुल 50 अंक) होंगे। प्रश्नों का स्तर सामान्यतः संबंधित पद हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अनुरूप होगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, जिनमें सामान्य जागरूकता, गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति तथा सांस्कृतिक गतिविधियों/सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए निर्धारित अंकों का 1/3 (एक-तिहाई) अंक काट लिया जाएगा। लिखित परीक्षा की अवधि 60 मिनट होगी। प्रश्नपत्र द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी) होगा। अभ्यर्थी परीक्षा हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में दे सकते हैं।	
2.	व्यावहारिक प्रदर्शन	35अंक
	संबंधित सांस्कृतिक विधा {शास्त्रीय गायक (पुरुष एवं महिला)} में प्रतिभा का मूल्यांकन, व्यावहारिक प्रदर्शन के आधार पर, गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा।	
3.	प्रशंसापत्र/पुरस्कारों का मूल्यांकन	15अंक
	संबंधित सांस्कृतिक विधा {शास्त्रीय गायक (पुरुष एवं महिला)} में अभ्यर्थी की प्रतिभा का मूल्यांकन, प्रस्तुत प्रशंसापत्रों/पुरस्कारों के आधार पर, गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा, जैसा कि ऊपर उल्लेखित है।	
	कुल	100अंक

नोट-: अगले चरण के लिए पात्र होने के लिए लिखित परीक्षा में कम से कम 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। परीक्षा में उम्मीदवारों की मेरिट के आधार पर, उन्हें अगले चरण यानी प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन और टेस्टिमोनियल्स/पुरस्कारों के मूल्यांकन के लिए बुलाया जाएगा; यह संख्या अधिसूचित पद (डिजिप्लिन) की कुल रिक्तियों की संख्या की 5 गुना होगी।

11. चिकित्सीय उपयुक्तता-

नियुक्ति के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों को रेलवे के चिकित्सीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार आवश्यक चिकित्सीय परीक्षण उत्तीर्ण करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभ्यर्थी संबंधित पद के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त हैं। दृष्टि क्षमता मानक (विजुअल एक्यूटी) रेलवे कर्मचारियों की चिकित्सीय उपयुक्तता के महत्वपूर्ण मानकों में से एक है।

नोट : उक्त पदों हेतु परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत भी, यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित चिकित्सीय परीक्षण में असफल पाया जाता है, तो उसे किसी भी परिस्थिति में वैकल्पिक पर पर नियुक्ति के लिए विचाराधीन नहीं किया जाएगा।

12. आवेदन कहाँ करें:

आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट www.rrcjaipur.in पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

13. आवेदन करने की प्रक्रिया :

13.1 सर्वप्रथम, अभ्यर्थियों को इस अधिसूचना में दिए गए सभी निर्देशों को भली-भांति पढ़ना एवं उनका पालन करना आवश्यक है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित अभिलेखों की स्कैन की गई प्रतियाँ निर्धारित प्रारूप में पूर्व से ही तैयार रखें—

(क) पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो (20 से 70 केबी) – जेपीईजी प्रारूप में।

(ख) स्कैन किए गए हस्ताक्षर (20 से 30 केबी) – जेपीईजी प्रारूप में।

(ग) जन्मतिथि, शैक्षिक/तकनीकी/व्यावसायिक (सांस्कृतिक) योग्यता तथा जाति (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के प्रमाण के रूप में प्रमाण-पत्रों की प्रति – पीडीएफ प्रारूप में।

(घ) अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्र/दस्तावेजों की प्रति (शुल्क में छूट/शुल्क वापसी से संबंधित अभिलेख सहित) – पीडीएफ प्रारूप में।

13.2 अभ्यर्थी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर की आधिकारिक वेबसाइट www.rrcjaipur.in पर जाएँ।

13.3 “सांस्कृतिक कोटा 2025-26” से संबंधित अधिसूचना लिंक पर क्लिक करें।

13.4 “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” लिंक पर क्लिक करें।

13.5 अपना आधार संख्या तथा मोबाइल संख्या दर्ज करें। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना व्यक्तिगत ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर ही प्रदान करें, क्योंकि भर्ती से संबंधित समस्त सूचनाएँ पंजीकृत ई-मेल आईडी/मोबाइल नंबर पर ही प्रेषित की जाएँगी।

13.6 आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने के उपरांत ई-मेल/संदेश के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी। अभ्यर्थी अपने पंजीकृत ई-मेल आईडी/मोबाइल नंबर को सुरक्षित रखें।

13.7 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में आधार विवरण का उपयोग कर अपनी पहचान का सत्यापन करें। इससे भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में सुविधा होगी। यदि अभ्यर्थी अन्य फोटो पहचान पत्र के माध्यम से सत्यापन करते हैं, तो भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उनकी अधिक विस्तृत एवं कठोर जांच की जाएगी।

13.8 अपने पंजीकृत ई-मेल/संदेश का इनबॉक्स खोलकर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड सुरक्षित रूप से नोट कर लें।

13.9 पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड का उपयोग कर लॉगिन करें।

13.10 दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए पंजीकरण प्रक्रिया को चरणबद्ध रूप से पूर्ण करें।

13.11 उपर्युक्त बिंदु 13.1 (क) से (घ) में उल्लिखित फोटो, हस्ताक्षर तथा आवश्यक प्रमाण-पत्रों की स्कैन प्रतियाँ अपलोड करें।

13.12 शुल्क भुगतान हेतु अभ्यर्थियों को भुगतान माध्यम (पेमेंट गेटवे) पर भेजा जाएगा।

13.13 आवेदन पत्र अंतिम रूप से जमा करें तथा उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

13.14 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अनुलग्नक-8 में निम्नलिखित विवरण अंकित कर विधिवत भरा हुआ अनुलग्नक-8 अपलोड करें—

(क) आकाशवाणी/दूरदर्शन पर दी गई प्रस्तुति।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं/कार्यशालाओं में सहभागिता।

(ग) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं/कार्यशालाओं में सहभागिता।

(घ) राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं/कार्यशालाओं में सहभागिता।

(ड) जिला स्तर की प्रतियोगिताओं/कार्यशालाओं में सहभागिता।

उपरोक्त (क) से (ड) के संबंध में प्रमाण-पत्र अपलोड करना आवश्यक नहीं है, किन्तु दस्तावेज सत्यापन के समय इन्हें प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। केवल वे दस्तावेज जिनका विवरण अनुलग्नक-8 में दिया गया है, उनकी दस्तावेज सत्यापन व्यवहारिक प्रदर्शन / प्रमाण-पत्रों के मूल्यांकन के दौरान गहन जाँच की जाएगी।

14. विविध-

- 14.1 यदि आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि/कमी पाई जाती है, तो रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (RRC) को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर किसी भी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 14.2 रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ को किसी भी चरण पर अतिरिक्त लिखित परीक्षा/व्यावहारिक प्रदर्शन/प्रशंसापत्र मूल्यांकन/दस्तावेज सत्यापन आयोजित करने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ को यह अधिकार होगा कि वह अधिसूचना में वर्णित किसी भी श्रेणी के लिए, बिना कोई कारण बताए, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण प्रक्रिया को किसी भी समय निरस्त कर सके।
- 14.3 पात्रता, आवेदन की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, निःशुल्क रेल पास जारी करना, गलत सूचना हेतु दंड, चयन की प्रक्रिया, लिखित परीक्षा का आयोजन, परीक्षा केंद्र का आवंटन, चयन तथा चयनित अभ्यर्थियों को पद आवंटन से संबंधित सभी मामलों में रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। इस संबंध में किसी प्रकार का पत्राचार अथवा पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 14.4 अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को उत्तर पश्चिम रेलवे में कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है।
- 14.5 रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ किसी भी प्रकार की अनजाने में हुई त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- 14.6 किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद का क्षेत्राधिकार केवल केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जयपुर होगा।
- 14.7 लेवल-2 में विशेष श्रेणी एवं पदस्थापन स्थल का निर्धारण अंतिम पैनल तैयार होने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- 14.8 भर्ती के सभी चरणों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति अस्थायी (प्रोविजनल) मानी जाएगी, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता शर्तों एवं अधिसूचना के निर्देशों को पूर्ण करते हों।
- 14.9 लिखित परीक्षा, व्यावहारिक प्रदर्शन/प्रशंसापत्र मूल्यांकन/दस्तावेज सत्यापन की तिथियाँ केवल रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर की आधिकारिक वेबसाइट www.rrcjaipur.in पर ही प्रकाशित की जाएँगी।
- 14.10 हिन्दी व अंग्रेजी संस्करणों में जारी अधिसूचना में कोई अंतर होता है तो अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

15. नकली पहचान/तथ्यों को छिपाना/चेतावनी :

- 15.1 किसी भी अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर उपस्थित होने का प्रयास नहीं करना चाहिए तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेनी चाहिए। ऐसा पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को सभी रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की परीक्षाओं से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा तथा उसे रेलवे में किसी भी प्रकार की नियुक्ति से वंचित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है।
- 15.2 यदि कोई अभ्यर्थी पात्रता प्राप्त करने और/अथवा परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा निःशुल्क यात्रा सुविधा सहित विशेष अधिकार प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार की सूचना छिपाता है या कूटरचित/झूठा प्रमाण-पत्र (जैसे जाति प्रमाण-पत्र आदि) प्रस्तुत करता है, तो उसकी उम्मीदवारी तत्काल निरस्त कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, उसे समस्त रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की परीक्षाओं से दो वर्ष के लिए वंचित किया जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है।
- 15.3 यदि कोई अभ्यर्थी एक ही पद एवं श्रेणी के लिए—
 - (i) भिन्न-भिन्न समुदाय दर्शाते हुए एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करता है,
 - (ii) भिन्न-भिन्न फोटो (चेहरे) के साथ एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करता है, अथवा
 - (iii) भिन्न-भिन्न दस्तावेजों के साथ एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को निर्धारित अवधि अथवा आजीवन के लिए सभी रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

चेतावनी :कृपया दलालों एवं नौकरी रैकेट चलाने वाले व्यक्तियों से सावधान रहें, जो झूठे वादों के माध्यम से रेलवे में नौकरी दिलाने का दावा करते हैं, चाहे वह किसी प्रकार के प्रभाव अथवा अनुचित एवं अनैतिक साधनों द्वारा हो। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (RRC) द्वारा अपने पक्ष से कार्य करने हेतु किसी भी एजेंट अथवा कोचिंग संस्थान की नियुक्ति नहीं की गई है। अभ्यर्थियों को ऐसे किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा किए गए दावों से सतर्क रहने की चेतावनी दी जाती है। अभ्यर्थियों का चयन पूर्णतः योग्यता (मेरिट) के आधार पर ही किया जाता है। अतः अभ्यर्थी ऐसे असामाजिक तत्वों से सावधान रहें तथा उनके बहकावे में न आएं। जो अभ्यर्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी तथा उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है।

संकेताक्षर

1	एससी – अनुसूचित जाति	8	एनडब्ल्यूआर पश्चिम रेलवे उत्तर -
2	एसटी – अनुसूचित जनजाति	9	आरआरसी – रेलवे भर्ती सेल
3	ओबीसी – अन्य पिछड़ा वर्ग	10	आरआरबी – रेलवे भर्ती बोर्ड
4	यूआर अनारक्षित -	11	डीवी – दस्तावेज सत्यापन
5	ईडब्ल्यूएस-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	12	सीबीटी -कंप्यूटर आधारित टेस्ट
6	ईबीसी -आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग	13	पीडी-व्यावहारिक प्रदर्शन
7	PwBD बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति		

Sd/-

अध्यक्ष/आरआरसी
उत्तर पश्चिम रेलवे

संलग्न - अनुलग्नक :1, 2, 3, 4, 5, 6 (ए), 6 (बी), 6 (सी), 7,8

अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में, उचित प्राधिकारी से जारी जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। ऐसा न करने की स्थिति में अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है। यह प्रावधान (भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित) विवरणिका के अध्याय -13 के अनुसार सख्ती से लागू है। चूंकि अनेक अभ्यर्थी उचित प्राधिकारी के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, अतः सभी अभ्यर्थियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी जाती है।

अजा/ अजजा अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी जो के पुत्र/पुत्री हैं और
 गाँव/शहर/ज़िला/डिविज़न राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
 के निवासी हैं, वे जाति/जनजाति से संबंधित हैं, जिसे निम्नलिखित के अंतर्गत

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जातियों) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग 'ग' राज्य) आदेश, 1951;

संविधान (अनुसूचित जनजातियों) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग 'ग' राज्य) आदेश, 1951;

[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन आदेश 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित]

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956

संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित)

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968

संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007

समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार।

- यह उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर लागू होता है जो एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन में चले गए हैं। यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती* (जो श्री/श्रीमती/कुमारी के पिता/माता* हैं और गाँव/कस्बे* जिले/डिविज़न* राज्य/केंद्र शासित प्रदेश* के निवासी हैं) को जारी किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया जा रहा है। वे जाति/जनजाति से संबंधित हैं, जिसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह प्रमाण-पत्र द्वारा तारीख को जारी किया गया था।
- श्री/श्रीमती/कुमारी* और/या* उनका परिवार आम तौर पर गाँव/कस्बे* जिले/डिविज़न* राज्य/केंद्र शासित प्रदेश* में रहते हैं।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

तारीख.....

पद.....

(कार्यालय की मुहर के साथ)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश.....

*कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं होते हैं।

@ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश का उल्लेख करें। % उस पैराग्राफ को हटा दें जो लागू नहीं होता है।

नोट: (a) यहाँ इस्तेमाल किए गए शब्द "आमतौर पर निवास करना" (ordinarily reside(s)) का वही अर्थ होगा जो 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 20 में है। जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी:

- जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर / अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडियरी मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट / उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडियरी मजिस्ट्रेट के पद से नीचे का नहीं)। 2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट। 3. तहसीलदार के पद से नीचे के न होने वाले राजस्व अधिकारी। 4. उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहाँ उम्मीदवार और/या उसका परिवार आमतौर पर रहता है। 5. केंद्र या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, जिन पर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के प्रति-हस्ताक्षर हों। 6. प्रशासक / प्रशासक के सचिव (लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)।

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (NCL) के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप

अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* जो श्री/श्रीमती* के पुत्र/पुत्री* हैं और गाँव/कस्बे* ज़िले/डिविज़न* (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश) के निवासी हैं, वे समुदाय से संबंधित हैं। इस समुदाय को भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रस्ताव संख्या (दिनांक) के तहत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है** श्री/श्रीमती/कुमारी और/या उनका परिवार आम तौर पर राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश के ज़िले/डिविज़न में रहते हैं। इसके द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के OM नंबर 36012/22/93-Estt.(SCT) (दिनांक 08/09/93) और GOI DOPT OM नंबर 36033/1/2013-Estt.(Res.) (दिनांक 13/09/2017) के तहत अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है***।

दिनांक:

ज़िला मजिस्ट्रेट/ उपायुक्त आदि
(कार्यालय की मुहर के साथ)

* कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं होते हैं।

** सर्टिफिकेट जारी करने वाले अधिकारी को भारत सरकार के उस प्रस्ताव (Resolution) का विवरण देना होगा, जिसमें उम्मीदवार की जाति को OBC के रूप में बताया गया है।

*** समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार।

नोट:

a) यहाँ इस्तेमाल किए गए शब्द 'आमतौर पर निवासी' (Ordinarily resides) का वही मतलब होगा जो 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' (Representation of the People Act, 1950) की धारा 20 में है।

b) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारी नीचे दिए गए हैं:

(i) ज़िला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर / अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडियरी मजिस्ट्रेट / उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडियरी मजिस्ट्रेट के पद से नीचे का नहीं)।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी (जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो) और उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहाँ उम्मीदवार और/या उसका परिवार रहता है।

केंद्रीयकृत रोजगार सूचना संख्या-..... के तहत पद के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय जमा किए जाने वाले घोषणा-पत्र का प्रारूप। घोषणा

अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) उम्मीदवार द्वारा स्व-घोषणा

मैं, श्री का पुत्र/पुत्री, ग्राम/कस्बा/नगर, जिला राज्य का निवासी/निदेशक, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं (अपनी उपजाति का उल्लेख करें) समुदाय से संबंध रखता/रखती हूँ, जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-Est.(SCT) दिनांक 08.09.1993 में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह भी घोषित किया जाता है कि मैं उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08.09.1993 और उसके बाद के संशोधनों की अनुसूची के स्तंभ 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूँ। कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्थापना (आरक्षित) दिनांक 13.09.2017। स्थान:

स्थान :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तारीख :

उम्मीदवार का नाम

रजिस्ट्रेशन नंबर :

आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क में छूट प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया जाने वाला आय प्रमाण-पत्र।

1. उम्मीदवार का नाम : _____
2. पिता का नाम : _____
3. आयु : _____
4. आवासीय पता : _____
5. वार्षिक पारिवारिक आय : _____
(शब्दों एवं अंकों में)
6. जारी करने की तिथि : _____
7. हस्ताक्षर : _____
(नाम) _____
8. जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर : _____

नोट – आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग से अभिप्राय ऐसे अभ्यर्थियों से है, जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹50,000/- (पचास हजार रुपये) से कम है। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की पहचान के लिए आय प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत हैं—

- (i) जिला मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी।
- (ii) लोकसभा के वर्तमान सदस्य (सांसद) अपने निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों के लिए।
- (iii) बीपीएल कार्ड अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी अन्य प्रमाण-पत्र, अथवा रेलवे द्वारा जारी “इज्जत एमएसटी”।
- (iv) केंद्रीय मंत्री देश में कहीं से भी किसी भी व्यक्ति के संबंध में रेलवे भर्ती कक्ष को सिफारिश कर सकते हैं।
- (v) राज्यसभा के वर्तमान सदस्य (सांसद) उस जिले के निवासियों के लिए, जहाँ वे सामान्यतः निवास करते हैं।

रोज़गार सूचना संख्या 02/2026 (सांस्कृतिक कोटा/ रेभक/उपरे) के अंतर्गत पदों हेतु आवेदन के साथ अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों का प्रारूप घोषणा पत्र प्रस्तुत किए जाने वाले द्वारा।

घोषणा

“मैंपुत्र/पुत्री श्री निवासीगली
.....गाँव/कस्बा/शहरजिलाराज्यएतद् द्वारा
घोषणा करता/ करती हूँ कि मैं..... केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय का उल्लेख करें,
अर्थात (मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध, जैन, पारसी से संबंधित हूँ।)
स्थान : उम्मीदवार के हस्ताक्षर
तारीख : उम्मीदवार का नाम

नोट: दस्तावेज सत्यापन के समय वे अभ्यर्थी जो, परीक्षा शुल्क में छूट का दावा कर रहे हैं, उन्हें गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर-
“अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा” का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि वे केंद्र सरकार द्वारा
अधिसूचित किसी अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात (मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध, जैन, पारसी) से संबंधित है।

फॉर्म - V

दिव्यांगता प्रमाण पत्र
(अंग विच्छेदन या अंगों के पूर्ण स्थायी पक्षाघात या बौनापन तथा दृष्टिहीनता के मामलों में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

हाल का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो (केवल चेहरा दिखाई दे) दिव्यांग व्यक्ति का

प्रमाण पत्र संख्या: _____ दिनांक: _____

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने सावधानीपूर्वक

श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____
जन्मतिथि _____ (DD/MM/YYYY) आयु _____ वर्ष, लिंग _____ पंजीकरण संख्या _____
निवासी मकान संख्या _____, वार्ड/ग्राम/गली _____ डाकघर _____, जिला _____, राज्य _____
का परीक्षण किया है, जिनका फोटो ऊपर संलग्न है, और मैं संतुष्ट हूँ कि:

(A) वे निम्नलिखित में से एक श्रेणी में आते हैं:

- चलन संबंधी दिव्यांगता
- बौनापन
- दृष्टिहीनता

(जो लागू हो, उस पर लगाएँ)

(B) उनके मामले में निदान है: _____

1. वह% (अंकों में) प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी चलन संबंधी विकलांगता / अंधता/ बौनापन जो उसके/उसकी शरीर के भाग से संबंधित है। (जिन्हें निर्दिष्ट किया जाना है) निर्देशों के अनुसार-
2. आवेदक ने निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:

दस्तावेज का प्रकार	जारी करने की तिथि	जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

दस्तावेज/अंगूठे का निशान
(जिसके पक्ष में प्रमाण पत्र जारी किया गया है)

(अधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर)

फॉर्म - VI

दिव्यांगता प्रमाण पत्र
(बहु-दिव्यांगता के मामलों में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

हाल का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो (केवल चेहरा दिखाई दे) दिव्यांग व्यक्ति का

प्रमाण पत्र संख्या: _____ दिनांक: _____

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने सावधानीपूर्वक श्री/ श्रीमती/ कुमारी _____ पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री _____ जन्मतिथि _____ (DD/ MM/ YYYYY) आयु _____ वर्ष, पुरुष/स्त्री _____ पंजीकरणसंख्या _____ निवासी मकान संख्या _____, वार्ड/ग्राम/गली _____ का परीक्षण किया है, जिनका फोटो ऊपर संलग्न है, और हम संतुष्ट हैं कि:

(A) वे बहु-दिव्यांगता के मामले में आते हैं। उनकी स्थायी शारीरिक अक्षमता/ दिव्यांगता का आकलन निम्नलिखित तालिका में दिए गए अनुसार (निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार) किया गया है:

क्र.सं.	दिव्यांगता	प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक/मानसिक दिव्यांगता (%)
1	चलन संबंधी दिव्यांगता	@		
2	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी			
3	कुष्ठ रोग से मुक्त			
4	बौनापन			
5	सेरेब्रल पाल्सी			
6	एसिड अटैक पीड़ित			
7	कम दृष्टि	#		
8	दृष्टिहीनता	#		
9	बधिर	£		
10	कम सुनाई देना	£		
11	वाणी एवं भाषा विकार			
12	बौद्धिक दिव्यांगता			
13	विशिष्ट अधिगम विकार			
14	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार			
15	मानसिक रोग			
16	दीर्घकालिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां			
17	मल्टीपल स्क्लेरोसिस			
18	पार्किंसन रोग			
19	हीमोफीलिया			
20	थैलेसीमिया			
21	सिकल सेल रोग			

(B) उपरोक्त के आधार पर, उनकी कुल स्थायी शारीरिक दिव्यांगता (निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार) इस प्रकार है:

अंकों में _____ प्रतिशत, शब्दों में _____ प्रतिशत

1. यह स्थिति प्रगतिशील/ अप्रगतिशील/ सुधार की संभावना/ सुधार की संभावना नहीं है।

2. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन

(i) आवश्यक नहीं है, या

(ii) _____ वर्ष _____ माह बाद अनुशंसित है, और यह प्रमाण पत्र _____ (DD/MM/YYYY) तक मान्य रहेगा।

@ उदाहरण: बायां/ दायां/ दोनों हाथ/ पैर, # उदाहरण: एक आंख/दोनों आंखें, £ उदाहरण: बायां/ दायां/ दोनों कान

3. आवेदक ने निवास प्रमाण के रूप में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किया है:

दस्तावेज का प्रकार	जारी करने की तिथि	जारीकर्ता प्राधिकारी का विवरण

4. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

सदस्य का नाम एवं मुहर	सदस्य का नाम एवं मुहर	अध्यक्ष का नाम एवं मुहर

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (जिसके पक्ष में प्रमाण पत्र जारी किया गया है)

दिव्यांगता प्रमाण पत्र
(फॉर्म V और VI में उल्लिखित मामलों के अतिरिक्त)
[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण पत्र जारी करने वाली चिकित्सीय प्राधिकरण का नाम और पता)

हाल का पासपोर्ट
आकार का सत्यापित
फोटो (केवल चेहरा
दिखाई दे (दिव्यांग
व्यक्ति का

प्रमाण पत्र संख्या..... दिनांक:.....

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/ कुमारी/ श्रीमती..... पुत्र पुत्री श्री/ पत्नी/.....जन्म तिथि (दिन/ माह/ वर्ष) वर्ष, लिंग/पुरुष : महिलापंजीकरण संख्यास्थायी निवासी मकान संख्या :....., वार्ड/ गांव/ गली.....जिनका फोटो ऊपर संलग्न है, का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है और मैं संतुष्ट हूँ कि वे दिव्यांगता से ग्रस्त हैं। उनकी स्थायी शारीरिक अक्षमतादिव्यांगता की सीमा/, निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

क्र.सं.	दिव्यांगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक अक्षमता(%) मानसिक दिव्यांगता/
1	चलन संबंधी दिव्यांगता	@		
2	मस्कुलर डिस्ट्रोफी			
3	कुष्ठ रोग (ठीक हुआ)			
4	सेरेब्रल पाल्सी			
5	एसिड अटैक पीड़ित			
6	कम दृष्टि	#		
7	बधिर	£		
8	कम सुनने की क्षमता	£		
9	वाणी एवं भाषा दिव्यांगता			
10	बौद्धिक दिव्यांगता			
11	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता			
12	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार			
13	मानसिक बीमारी			
14	दीर्घकालिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ			
15	मल्टीपल स्क्लेरोसिस			
16	पाकिसन रोग			
17	हीमोफीलिया			
18	थैलेसीमिया			
19	सिकल सेल रोग			

(A) उपरोक्त के आधार पर, निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार उनकी कुल स्थायी शारीरिक अक्षमता:

अंकों में प्रतिशत शब्दों में: प्रतिशत

2. यह स्थिति प्रगतिशील है / सुधार की संभावना नहीं है/ सुधार की संभावना है / अप्रगतिशील है।

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन-

(i) आवश्यक नहीं है, अथवा

(ii) वर्ष माह के बाद अनुशासित है, अतः यह प्रमाण पत्र दिन माह/वर्ष) तक मान्य रहेगा।

@ जैसे: बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर, # जैसे, एक आंख/दोनों आंखें £ जैसेबायां/दायां/दोनों कान :

4. आवेदक ने निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:

दस्तावेज का प्रकार	जारी करने की तिथि	जारीकर्ता प्राधिकारी का विवरण

प्रतिहस्ताक्षरित प्रतिहस्ताक्षर तथा मुहर]— सीएमओ(सरकारी अस्पताल के प्रमुख के/मेडिकल अधीक्षक/ उस स्थिति में जब प्रमाण पत्र किसी ऐसे चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो जो सरकारी कर्मचारी नहीं है [(मुहर सहित)	
---	--

दिव्यांगता प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर/अंगूठा
निशान

नोट: यदि यह प्रमाण पत्र किसी ऐसे चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो यह तभी वैध होगा जब इसे जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित (काउंटरसाइन) किया गया हो। मुख्य नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या S.O. 908(E), दिनांक 31 दिसंबर 1996 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

स्क़ाइब के उपयोग हेतु घोषणा पत्र (Letter of Undertaking)

नोट: दृष्टिबाधित (VI) उम्मीदवार / वे उम्मीदवार जिनकी लिखने की गति सेरेब्रल पाल्सी / मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कारण प्रभावित है / एक हाथ से संबंधित चलन दिव्यांगता वाले उम्मीदवार / बौद्धिक दिव्यांगता (ऑटिज़्म, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता एवं मानसिक बीमारी) वाले उम्मीदवार स्क़ाइब की सुविधा के पात्र हैं।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तावित स्क़ाइब का विवरण

1. उम्मीदवार का नाम
2. रोल नंबर
3. CBT केंद्र का नाम
4. उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता
5. दिव्यांगता का प्रकार
6. स्क़ाइब का नाम
7. स्क़ाइब की जन्म तिथि
8. स्क़ाइब के पिता का नाम
9. स्क़ाइब का पता:
(a)स्थायी पता
-
-
- (b)वर्तमान पता
-
-
10. स्क़ाइब की शैक्षणिक योग्यता
11.
- उम्मीदवार से स्क़ाइब का संबंध (यदि कोई हो)
12. घोषणा -

यहाँ लेखक का हाल ही (स्क़ाइब) का रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटोचिपकाएँ, जिसका आकार 3.5 सेमी × 4.5 सेमी हो। (रंगीन फोटो) 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

स्क़ाइब के हस्ताक्षर ऊपर दिए गए (लेखक) फोटो के नीचे वाले बॉक्स में करें।

- i) हम यह घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। हमने रेलवे भर्ती सेल द्वारा स्क़ाइब की सहायता से परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए दिए गए निर्देशों को पढ़ लिया है और उनका पालन करने का वचन देते हैं।
- ii) हम यह घोषणा करते हैं कि स्क़ाइब स्वयं इस परीक्षा का उम्मीदवार नहीं है। यदि यह पाया जाता है कि ऐसा नहीं है, तो हम दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- iii) हम यह घोषणा करते हैं कि स्क़ाइब ने इस परीक्षा में किसी अन्य उम्मीदवार के लिए स्क़ाइब के रूप में कार्य नहीं किया है और न ही करेगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(स्क़ाइब के हस्ताक्षर)

उम्मीदवार का बायां अंगूठा निशान
(ऊपर दिए गए बॉक्स में)

स्क़ाइब का बायां अंगूठा निशान
(ऊपर दिए गए बॉक्स में)

वीक्षक (Invigilator) के हस्ताक्षर

भारत सरकार /राज्य सरकार
(प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) हेतु आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या: _____
वर्ष _____ के लिए वैध

दिनांक: _____

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/ पुत्री/ पत्नी
_____ के स्थायी निवासी _____, गांव/गली
_____, डाकघर _____, जिला _____, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
_____, पिन कोड _____ जिनका फोटो नीचे सत्यापित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
से संबंधित हैं, क्योंकि उनके परिवार की कुल वार्षिक आय* वित्तीय वर्ष _____ के लिए ₹8,00,000 (रुपये आठ लाख
मात्र) से कम है।

उनका परिवार निम्नलिखित संपत्तियों*** का स्वामी/धारक नहीं है:

1. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि
 2. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय प्लॉट
 3. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय प्लॉट
 4. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय प्लॉट
2. श्री कुमारी/श्रीमती/ _____ ऐसी जाति से संबंधित हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित
जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग - केंद्रीय सूची शामिल नहीं है। में

कार्यालय की मुहर सहित हस्ताक्षर

नाम: _____

पदनाम: _____

आवेदक का हालिया पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो

नोट 1: आय में सभी स्रोत शामिल होंगे जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि।

नोट 2: "परिवार" में शामिल हैं – आवेदक, उसके माता-पिता, 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

नोट 3: "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों/शहरों में रखी गई संपत्ति को जोड़कर (क्लब करके) EWS स्थिति निर्धारित की जाएगी।

राष्ट्रीय, राज्य और अन्य स्तरों पर जीते गए पुरस्कारों और इनामों का विवरण, साथ ही अधिसूचना में उल्लिखित संबंधित क्षेत्र में अनुभव/प्रदर्शन का विवरण

आवेदक का नाम:-

अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय, राज्य और अन्य स्तरों पर जीते गए पुरस्कार/इनाम (यदि कोई हों), संबंधित क्षेत्र में अनुभव, और ऑल इंडिया रेडियो/दूरदर्शन आदि पर दी गई प्रस्तुतियों का विवरण:-

क्र.सं.	कार्यक्रम/अवसर जिसमें भाग लिया	वर्ष	स्थान/पुरस्कार (यदि कोई हों)	प्रमाण पत्र संख्या और दिनांक
(क)	अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी			
1				
2				
3				
4				
5				
(ख)	राज्य स्तर पर भागीदारी			
1				
2				
3				
4				
5				
(ग)	अन्य स्तर पर भागीदारी			
1				
2				
3				
4				
5				
(घ)	ऑल इंडिया रेडियो (AIR) पर दी गई प्रस्तुति			
1				
2				
3				
4				
5				
(ङ)	दूरदर्शन पर पर दी गई प्रस्तुति			
1				
2				
3				
4				
5				

इन प्रमाण पत्रों को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है; हालाँकि, ऊपर उल्लिखित सभी प्रमाण पत्रों को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। दस्तावेज सत्यापन/व्यावहारिक प्रदर्शन/प्रशंसा पत्रों के मूल्यांकन के दौरान केवल उन्हीं प्रमाण पत्रों की जाँच की जाएगी, जिनका विवरण ऊपर दिया गया है।

घोषणा:- "उपर्युक्त जानकारी मेरे द्वारा भरी गई है, और मुझे इस बात की जानकारी है कि यदि किसी भी चरण पर इसमें से कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।"

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक:-...

स्थान:-...